उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 1/2023/58/तीस-4-2023
लखनऊःदिनांकः 11 जनवरी, 2023

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) एवं धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, निजी संचालकों एवं राज्य परिवहन उपक्रम की मंजिली गाड़ियों के लिए नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिसूचना द्वारा निश्चित किये गये स्तम्भ-3 में उल्लिखित मार्ग को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में रखे जाने के लिए निर्देश देती हैं:-

अनुसूची

क्र0सं0	अधिसूचना की संख्या व दिनांक	निश्चित किया गया मार्ग
1	2	3
1	संख्या-10/2018/309/तीस-4-2018-01(सा0)/ 2018, दिनांक 17-03-2018	लखनऊ-नोयडा सेक्टर-37 (एक्सप्रेस वे) वाया रिंग रोड कुबेरपुर (आगरा), परीचौक
2	संख्या-16/2022/819/तीस-4-2022-30-4099 (099)/142/2022, दिनांक 28.06.2022	बोटिनिकल गार्डन सेक्टर-37 नोएडा से कौशाम्बी-मेरठ एक्सप्रेस वे-परतापुर-मेरठ बाईपास-घंटाघर मार्ग

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या -1/2023/58(1)/तीस-4-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

संख्या -1/2023/58(2)/तीस-4-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 11 जनवरी, 2023 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

संख्या -1/2023/58(3)/तीस-4-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू. नल़उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.1/2023/58/XXX-4-2023, dated 11 January, 2023

Notification

No.1/2023/58/XXX-4-2023

Lucknow: Dated 11 January, 2023

In exercise of powers conferred under sub section (1) of Section 67 and clause (b) of sub section (3) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) the Governor is pleased to direct that the routes mentioned in column-3 formulated vide notification mentioned in column-2 of the schedule below shall be under the jurisdiction of State Transport Authority, Uttar Pradesh for stage carriages of private operators and State Transport Undertaking:-

SCHEDULE

Sr.No.	Number and date of notification	Formulated route
1	2	3
1	No. 10/2018/309/xxx-4-2018-01(sa.)/2018, Dated 17-3-2018	Lucknow-Noida Sector-37 (Express way) via Ring Road Kuberpur (Agra), Parichauk
2	No.16/2022/819/xxx-4-2022-30- 4099(099)/142/2022, Dated 28-6-2022	Botanical Garden Sector-37 Noida–Kaushambi- Meerut Express way-Partapur-Meerut Bypass-Ghantaghar route

By Order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।